पृष्ठ से 5

⑦

संख्या- 5161 / 111(2)/10-56(एम0एस0/50)/2010टी0सी0-

प्रदीप सिंह रावत,
उप सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,
मुख्य अभियन्ता स्तर-1,
लोक निर्माण विभाग,
देहरादून।

लोक निर्माण अनुभाग-2 देहरादून, दिनांक 24 सितम्बर, 2010

विषय:- जनपद पौड़ी गढ़वाल के विधानसभा क्षेत्र थलीसैण के अन्तर्गत विभिन्न कार्यों की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान करते हुए प्राक्रयात्मक कार्यों के सापेक्ष व्यय की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मुख्य अभियन्ता, गढ़वाल क्षेत्र, लोक निर्माण विभाग, पौड़ी द्वारा पत्र सं0:- 4352/36(130) मु0अ0पौ0-पत्रां0/10 दिनांक 29-06-2010 द्वारा पौड़ी गढ़वाल के विधानसभा क्षेत्र थलीसैण के अन्तर्गत संलग्न विवरणानुसार उपलब्ध कराये गये आगणनों के निर्माण पर प्रशासकीय अनुमोदन प्रदान करते हुए प्रथम चरण के अन्तर्गत प्रक्रियात्मक कार्यों यथा समरेखण आगणन का गठन, वन भूमि हस्तान्तरण, भू-अधिग्रहण, यूटीलिटी शिफ्टिंग, सर्वे, परीक्षण भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण, कन्सल्टेन्सी आदि मदों के लिये आंकलित की गई लागत ₹ 264.60 लाख के सापेक्ष टी0ए0सी0 द्वारा औचित्यपूर्ण पाई गई धनराशि ₹ 264.60 लाख (रू0 दो करोड़ चौंसठ लाख साठ हजार मात्र) पर प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान करते हुए चालू वित्तीय वर्ष में संलग्न विवरणानुसार प्रत्येक कार्य हेतु ₹ 0.25 लाख अर्थात कुल ₹ 0.75 लाख (रू0 पचहत्तर हजार मात्र) को वर्तमान वित्तीय वर्ष 2010-11 में व्यय करने की श्री राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

1- उक्त स्वीकृति के आधार पर विभाग द्वारा समस्त प्रक्रियात्मक कार्यों को समयबद्ध रूप से पूर्ण करने के तदोपरान्त उक्त सन्दर्भित शासनादेश सं0 1764/111(2)/10-17(सा0-) /2008 दिनांक 17 2010 की व्यवस्थानुसार विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार कर शासन को वित्तीय स्वीकृति हेतु प्रस्तुत की जायेगी। प्रस्तुत परियोजना रिपोर्ट पर शासन से अनुमोदन प्राप्त होने के उपरान्त ही मोटर मार्ग का निर्माण का कार्य किया जायेगा।

2- आगणन में उल्लिखित दरों का विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित दरों को जो दरें शिड्यूल आफ रेट में स्वीकृत नहीं है, अथवा बाजार भाव पर ली गई हो, की स्वीकृति नियमानुसार अधीक्षण अभियन्ता का अनुमोदन आवश्यक होगा।

3- कार्य पर उतना ही व्यय किया जाय जितना की स्वीकृत मात्रा है। स्वीकृत राशि से अधिक व्यय कदापि न किया जाय। यदि प्रथम चरण हेतु स्वीकृत की जा रही धनराशि न बचत हो रही है तो उसका समायोजन विस्तृत आगणन तैयार करते समय किया जायेगा।

4- कार्य कराने से पूर्व समस्त औपचारिकताएं तकनीकी दृष्टि के मध्य नजर रखते हुए एवं लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टयों के अनुरूप ही कार्यों को सम्पादित कराये जाना पालन करना सुनिश्चित करें।

5- आगणन में जिन मदों हेतु जो राशि स्वीकृत की गई है व्यय उसी मद में किया जाय, एक मद का दूसरे मद में व्यय कदापि न किया जाय।

6- स्वीकृत किया जाने वाला व्यय उत्तराखण्ड प्रोक्योरमेन्ट रूल्स-2008 एवं उसके विषय में समय-समय पर निर्गत समस्त दिशा निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन किया जायेगा।

पत्रांक 3229/4mg
दि0 27/12/10

Photocopy Attested

सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो0 नि0 वि0 भा0
बैजरो पौड़ी (गढ़वाल)

पृष्ठ सं 5.1

(9)

सचिव, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश स0– 2047 / XIV–219(2006) दिनांक 2006 द्वारा निर्गत आदेशों का कार्य कराते समय या आगणन गठित करते समय कड़ाई से सुनिश्चित किया जायेगा।

स्वीकृत किये जा रहे कार्य की गुणवत्ता एवं समयबद्धता का सम्पूर्ण दायित्व संबंधित अधिशासी ... का होगा।

इस संबध मे होने वाला व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2010–11 में लोक निर्माण विभाग के अनुदान ... लेखाशीर्षक–5054 सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय –04 जिला तथा अन्य सड़कें –800–अन्य व्यय–03 राज्य सेक्टर– 02 नया निर्माण कार्य–24 वृहत निर्माण कार्य के नामे ... जायेगा।

यह आदेश वित्त अनुभाग–2 के अशासकीय संख्या– 376 / XXVII/(2)/2010 दिनांक 23 सितम्बर, 2010 से प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(प्रदीप सिंह रावत)
उप सचिव

संख्या– 5161 (1) / III(2) / 10–35(एम0एल0ए0) / 2010टी0सी0–1 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाई हेतु प्रेषित :–

महालेखाकार (लेखा प्रथम), ओबराय मोटर्स बिल्डिंग, माजरा देहरादून।
आयुक्त गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
जिलाधिकारी / कोषाधिकारी, जनपद पौड़ी गढ़वाल।
मुख्य अभियन्ता, गढ़वाल क्षेत्र, लो.नि.वि., पौड़ी।
वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
निदेशक, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, उत्तराखण्ड, देहरादून।
वित्त अनुभाग–2 / वित्त नियोजन प्रकोष्ट उत्तराखण्ड शासन।
अधीक्षण अभियन्ता, 12वॉं वृत्त लो0नि0वि0 पौड़ी।
लोक निर्माण अनुभाग–1 / 3 उत्तराखण्ड शासन
गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(सहिमा)
अनु सचिव

Photo copy Attested

सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो० नि० वि०
बैजरों पौड़ी (गढ़वाल)

शासनादेश सं0:– 5161 / III(2) / 10–35(एम0एल0ए0) / 2010टी0सी0–1 दि0 24 सितम्बर, 2010 का संलग्नक

क्र0 सं0	कार्य का नाम	लम्बाई (किमी0 में)	टी0ए0सी0 वित्त द्वारा अनुमोदित धनराशि (लाख ₹ में)	वित्तीय वर्ष 2010–11 में व्यय हेतु स्वीकृत धनराशि (लाख ₹ में)
1	2	3	[illegible]	5
1	जनपद पौड़ी गढ़वाल में विधानसभा क्षेत्र थलीसैंण के अन्तर्गत गडसारी मोटर मार्ग का कुल्याणी –धांधण खेत तक विस्तार	3.00	37.30	0.25
2	जनपद पौड़ी गढ़वाल मे विधानसभा क्षेत्र थलीसैंण के अन्तर्गत जाख–अक्सोडा मोटर मार्ग का निर्माण।	8.00	[illegible]	0.25
3	जनपद पौड़ी गढ़वाल में विधानसभा क्षेत्र थलीसैंण के अन्तर्गत मरखोला–नौगांव तक मोटर मार्ग का निर्माण।	10.00	[illegible]	0.25
	योग:–	21.00	264.60	0.75

(कुल ₹ पचहत्तर हजार रुपये मात्र)

(प्रदीप सिंह रावत)
उप सचिव

Photo copy Attested

सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो० नि० विभाग
बैजरो पौड़ी (गढ़वाल)